

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची/दुमका;
 संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
 जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : २१/१०/२०२०

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) के अन्तर्गत विभिन्न कार्य प्रमंडलों को रेसनलाइजेशन ऑफ माइनर एरिगेशन स्टैटिस्टिक के बष्टम लघु सिंचाई योजनाओं की गणना कार्य हेतु रु. 185.62441 (एक करोड़ पचासी लाख बासठ हजार चार सौ एकतालीस मात्र) रुपये की राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :-
महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है:-

(लाख रु. में)

| क्र. | मॉग सं./मुख्य शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष | उप शीर्ष / विस्तृत शीर्ष/ विपत्र कोड | वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट उपबंध | आवंटित राशि | अभ्युक्ति |
|------|---|--|--|-----------------------------------|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
| 1. | 50— जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) / 4702— लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय | 101—सतही जल/ 37— रेसनलाइजेशन ऑफ माइनर एरिगेशन स्टैटिस्टिक | 07—अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय विपत्र कोड 50C470200101370759 | 300.00 | 86.08919 | |
| 2. | 50— जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) / 4702— लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय | 796—जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना/ 37—रेसनलाइजेशन ऑफ माइनर एरिगेशन स्टैटिस्टिक | 07—अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय विपत्र कोड 50C470200796370759 | 200.00 | 99.53522 | |
| कुल | | | | 500.00 | 185.62441 | |

आवंटित राशि – ₹ एक करोड़ पचासी लाख बासठ हजार चार सौ एकतालीस मात्र।

- उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-1 एवं 2 में अंकित कार्य प्रमंडलों के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
- आवंटित राशि शत प्रतिशत केन्द्र प्रयोजित योजना के लिए भारत सरकार से प्राप्त राशि के आलोक में निर्गत किया जाता है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 तथा 2747(वि.), दिनांक—19.09.16 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

Dass
(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्यय पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. शत-प्रतिशत योजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा अंकित राशि से संबंधित सभी अनुदेशों का राख्ती रो अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को समय उपलब्ध कराया जाय।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2021 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
- नोट :** आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 एवं 2 के स्तंभ-12 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

20/10/20
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :— 68

रॉची, दिनांक :— 21/10/2020

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. — हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/हजारीबाग/चतरा/मेदिनीनगर/गढ़वा/रामगढ़/धनबाद/बाकारो/कोडरमा/गोड्डा/गिरिडीह/दुमका/देवघर/खूंटी/चाईबासा/जमशेदपुर/लातेहार/लोहरदगा/सरायकेला/गुमला/सिमडेगा/दुमका/साहेबगंज/पाकुड़/जामताड़ा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक :— 68

रॉची, दिनांक :— 21/10/2020

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशास्त्रा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

20/10/20

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

20/10/20
(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

20/10/20
(प्रशांत कुमार)
सचिव

/रॉची, दिनांक – २१/१०/२०२०

परिणिष्ठ – 1

पत्रांक – ६८

मोंग संख्या-५०-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)

मुख्य शीर्ष – ४७०२ लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

लघु शीर्ष – १०१-सतही जल,

विस्तृत शीर्ष-०७-अन्य व्यय, ५९ अन्य व्यय विपत्र कोड ५०८४७०२००१०१३७०७५९

बजट उपवध (वर्ष २०२०-२१) रु. ३००.०० लाख (तीन करोड़) मात्र।

(राशि लाख में)

| क्र. | कार्यालय का नाम | मुख्य अभियंता प्रक्रमेत्र | प्रशासनिक स्थीकृति का | | मार्च २०२० | वित्तीय वर्ष २०२०-२१ में आवंटन | | | योजना पर तुल अद्यतन आवंटन (७+१०) | On-line Allotment Access No. | अस्युकित | |
|------|---|------------------------------|---|--|------------|--------------------------------|-------------------|------------------|---|------------------------------------|----------|----|
| | | | प्रसंग | राशि | | तक व्यय | पूर्व का आवंटन | वर्तमान आवंटन | कुल आवंटन आवंटित राशि | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | लघु सिंचाई प्रमङ्गल, हजारीबाग (HZBMIR001) | | | | | 0.00000 | 0.00000 | 7.87478 | 7.87478 | 7.87478 | 52074 | |
| 2 | लघु सिंचाई प्रमङ्गल, चतरा (CTRMR001) | | | | | 0.00000 | 0.00000 | 8.07184 | 8.07184 | 8.07184 | 52075 | |
| 2 | लघु सिंचाई प्रमङ्गल, मोदीनीनगर (PLMMR041) | रांची/ तुमका | षष्ठ्म लघु सिंचाई योजनाओं का गणना कार्य | 42 / १८-१९ प्र.रक्षी दिनांक-२४.१२.१८ Online AA- 1735/३१.१२.१८ | 981.4030 | 1.10869 | 0.00000 | 9.44496 | 9.44496 | 10.55365 | 52076 | |
| 4 | लघु सिंचाई प्रमङ्गल, गढवा (GRHMR001) | | | | | 0.00000 | 0.00000 | 6.20322 | 6.20322 | 6.20322 | 52077 | |
| 5 | लघु सिंचाई प्रमङ्गल, रामगढ़ (RGHMR012) | | | | | 0.00000 | 0.00000 | 2.20868 | 2.20868 | 2.20868 | 52078 | |

(प्रशास्त कुमार दास)
सचिव

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (आमिं.)

(अशोक कुमार दास)
सचिव

विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय विपत्र कोड 50C470200101370759
बजट उपबंध (वर्ष 2020-21) रु. 300.00 लाख (तीन करोड़) मात्र।

(राशि लाख में)

| क्र० | कार्यालय का नाम | मुख्य अभियांत्र प्रस्त्रेच | योजना का नाम | प्रशासनिक स्वीकृति का | | वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटन | योजना पर कुल अधितन (7+10) | On-line Allotment Access No. | अस्युक्ति | | | |
|------|--|----------------------------|--|---|----------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|----------|-------|----|
| | | | | प्रसंग | राशि | मार्च 2020 तक व्यय | पूर्व का आवंटन | वर्तमान आवंटन | कुल आवंटन (7+10) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6 | लघु सिंचाई प्रमङ्गल, धनबाद (DHNMMR001) | | | | | 1.19800 | 0.00000 | 6.94836 | 6.94836 | 8.14636 | 52080 | |
| 7 | लघु सिंचाई प्रमङ्गल, बोकारो (BKRMIR001) | | | | | 0.61595 | 0.00000 | 4.19900 | 4.19900 | 4.81495 | 52082 | |
| 8 | लघु सिंचाई प्रमङ्गल, कोडरमा (KDMMMRA01) | | | | | 0.99515 | 0.00000 | 3.42844 | 3.42844 | 4.42359 | 52086 | |
| 9 | लघु सिंचाई प्रमङ्गल, गोडडा (GDDMMR014) | ल०.सिं. | षट्टम लघु सिंचाई योजनाओं का गणना कार्य | 42./18-19 प्रस्त्री दिनांक-24.12.18 Online AA-1735/31.12.18 | 981.4030 | 2.70000 | 0.00000 | 10.74895 | 10.74895 | 13.44895 | 52089 | |
| 10 | लघु सिंचाई प्रमङ्गल, गिरिझोह (GRDMIR001) | | | | | 0.47697 | 0.00000 | 13.70508 | 13.70508 | 14.18205 | 52091 | |
| 11 | लघु सिंचाई रूपांकण प्रमङ्गल, दुमका शिविर देवघर (DGRMIR001) | | | | | 0.00000 | 0.00000 | 13.25588 | 13.25588 | 13.25588 | 52094 | |
| | | | योग | 7.09476 | 0.00000 | 86.08919 | 86.08919 | 93.18395 | | | | |

आवंटित राशि -₹ छियासी लाख आठ हजार नौ सौ उन्नीस मात्र।

→
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

68
21/10/2020

अमृत
(अशोक कुमार दास)

संयुक्त सचिव (अभि०)

अमृत
(प्रशास्त्र कुमार)
सचिव

पत्रांक – 68

मैंग संख्या-50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)

मुख्य शीर्ष – 4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

लघु शीर्ष – 796-जन जातीय क्षेत्रों उपयोजना,

उपशीर्ष – 37-रेसनलाइजेशन ऑफ माइनर एडिशन स्टैटिस्टिक,

विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय विषय कोड 50C470200796370759
बजट उपबंध (वर्ष 2020-21) रु. 200.00 लाख (दो करोड़) मात्र।

/राँची, दिनांक – २१/१०/२०२०

परिशिष्ट – 2

वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटन

(राशि लाख में)

| क्र. | कार्यालय का नाम | मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र | योजना का नाम | प्रशासनिक स्थीर्कृति का | | मार्च 2020 तक पूर्व का आवंटन | वर्तमान आवंटन | कुल आवंटन राशि | योजना पर कुल आवंटन आवंटन (7+10) | On-line Allotment Access No. | अन्युक्ति |
|------|---|--------------------------|--------------|-------------------------|------|------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------|------------------------------|-----------|
| | | | | प्रसंग | राशि | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | लघु सिंचाई प्रमङ्गल, राँची (DRNMIR001) | | | | | 16.06588 | 0.00000 | 8.39352 | 8.39352 | 24.45940 | 52096 |
| 2 | लघु सिंचाई प्रमङ्गल, राँची (RNCMIR001) | | | | | 2.86412 | 0.00000 | 7.51930 | 7.51930 | 10.38342 | 52097 |
| 3 | लघु सिंचाई प्रमङ्गल, खूंटी (RNCCRKK01) | | | | | 0.00000 | 0.00000 | 4.67474 | 4.67474 | 4.67474 | 52098 |
| 4 | लघु सिंचाई प्रमङ्गल, चाईबासा (SGHMIR002) | | | | | 1.04944 | 0.00000 | 10.11800 | 10.11800 | 11.16744 | 52100 |
| 5 | लघु सिंचाई प्रमङ्गल, जमशेदपुर (JSRMIR001) | | | | | 3.56339 | 0.00000 | 10.05100 | 10.05100 | 13.61439 | 52102 |
| 6 | लघु सिंचाई प्रमङ्गल, लातेहार (LTMIR001) | | | | | 0.00000 | 0.00000 | 4.01280 | 4.01280 | 4.01280 | 52104 |

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अमि.)


(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अमि.)


(प्रशासन कुमार)
सचिव

| | | | | | | | |
|----|---|--|----------|---------|----------|----------|--------------|
| 7 | लघु सिंचाई प्रमङ्गल, लोहसदगा (LDGIRR001) | 0.99000 | 0.00000 | 2.48000 | 2.48000 | 3.47000 | 52106 |
| 8 | लघु सिंचाई प्रमङ्गल, सरायकेला (SKLIRR033) | 0.00000 | 0.00000 | 7.52940 | 7.52940 | 7.52940 | 52108 |
| 9 | लघु सिंचाई प्रमङ्गल, गुमला (GMLIRR006) | 0.93712 | 0.00000 | 5.54767 | 5.54767 | 6.48479 | 52110 |
| 10 | लघु सिंचाई प्रमङ्गल, सिमडेगा (SDGMIR001) | 42 / 18-19 प.स्वी. दिनांक-24.12.18 Online AA- 1735/31.12.18 | 981.4030 | 1.13520 | 0.00000 | 3.01954 | 3.01954 |
| 11 | लघु सिंचाई प्रमङ्गल, दुमका (DMKMR001) | पट्टम् लघु सिंचाई योजनाओं का गणना कार्य ल.सि.रॉय | 0.55401 | 0.00000 | 15.13110 | 15.13110 | 15.68511 |
| 12 | लघु सिंचाई प्रमङ्गल, साहेबगंज (SBJMR001) | 0.00000 | 0.00000 | 9.37052 | 9.37052 | 9.37052 | 52114 |
| 13 | लघु सिंचाई प्रमङ्गल, पाकुड़ (PKRMR001) | 3.65653 | 0.00000 | 5.67400 | 5.67400 | 9.33053 | 52116 |
| 14 | लघु सिंचाई प्रमङ्गल, जामताड़ा (JMTMR022) | 0.73500 | 0.00000 | 6.01363 | 6.01363 | 6.74863 | 52118 |
| | | योग | 31.55069 | 0.00000 | 99.53522 | 99.53522 | 131.08591 |

आवंटित राशि – इनियानबे लाख तिरेपन हजार पाँच सौ बाईस मात्र।

२२११

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अधीक्ष.)

६८
१०/१०/२०२८

अशोक कुमार दास
संयुक्त सचिव (अधीक्ष.)

५०/००/००
(प्रशांत कुमार)
सचिव